THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL EVERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) The Upper Kolab Hydroelectric Projcts 320 MW (4×80 MW) received investment approval from the Planning Commission in August, 1975. All the four units of the Upper Kolab Kydroelectric Project have already been commissioned in 1987, 1988, 1990 and 1993 respectively.

No project by the name of Upper Bhadrawah has been sanctioned by the Planning Commission in Orissa. However, there is a project named Upper Indravati Project which was sanctioned in 1978. This envisages installed capacity of 600MW (4×150 MW). The latest estimated cost of the project is Rs. 1116.3 crores and the four units are to be commissioned in 1998-99.

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाना

2070. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन और जल को गर्म करने के लिए देश में विकसित किए गए उपकरणों की क्षमता कितनी है तथा इन उपकरणों की लागत कितनी है;

(ख) क्या गांवों में इन उपकरणों की आपूर्ति के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है;

(ग) क्या सरकार राज्यों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी देने हेतु कार्यालय खोलने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पान क्षमता, सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापन क्षमता तथा अपारंपरिक ऊर्जा उपकरणों की लागत विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन तथा उपयोग के लिए उपकरणों की उपलब्धता को सरल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने चंड़ीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, भोपाल हैदराबाद, भुवनेश्वर तथा मद्रास में पहले ही क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर दी है। क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्तव्यों एवं जिम्मेवारियों में राज्य सरकारों राज्य नोडल एजेंसियों तथा गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क कायम रखना, चालू तथा पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं के मानीटरिंग और निरीक्षण एवं लोगों को नए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों तथा उनसे संबंधित प्रणालियों और उपकरणों के उपयोग संबंधी जानकारी तथा सलाह देना शामिल है।

विवरण

प्रति यूनिट लागत के साथ कार्यक्रमवार स्थापित विद्युत उत्पादन/जल तापन क्षमता।

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	संस्थापित क्षमता	विद्युत उत्पादन उपकरणों/जल तापन प्रणालियों के लिए प्रति यूनिट लागत
1.	पवन विद्युत (मेवा.)	818	रु० 3-3.5 करोड़/मेवा.
2.	लघु जल विद्युत (मेवा.)	134	रु० 4-5.5 करोड़/मेवा.

3.	(क) बायोमास सहउत्पादन (मेवा.)	43.5	रु० 2-4 करोड़/मेवा.
	(ख) बायोमास कम्बस्टन (मेवा.)	14	रु० 3.5-4 करोड़/मेवा.
4.	बायोमास गैसीकरण (मेवा.)	22.8	रु० 10,000-15,000 /किवा.
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय (मेवा.)	22	रु० 35-40 करोड़/मेवा.
6.	शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट (मेवा.)	शून्य	रु० 4-7 करोड़/मेवा.
7.	सौर जल तापन प्रणालियां	3,50,000 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र/1.75 करोड़ लीटर गर्म जल प्रति दिन	रु० 120-170 प्रति लीटर प्रति दिन

Grant of Petrol, Pumps on Compassionate Grounds in Karnataka

2071. PROF. RAM KAPSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to unstarred question 121 given in the Rajya Sabha on the 21st November 1996 and state:

(a) the criteria adopted for selection of allottees for grant of petrol pumps on compassionate grounds;

(b) the names, alongwith the addresses of the individuals, to whom these petrol pumps were allotted in Karnataka in December, 1994;

(c) whether any specific guidelines have been prescribed to interpret the terms 'compassionate' in the above context, so as to minimise the use of discretionary powers; and

(d) is fo, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Till 31.8.1995 no specific guidelines were laid down for allotment of dealership/destributorships on compassionate grounds.

(b) In December, 1994 two retail outlets were allotted on compassionate grounds in Karnataka in favour of the under mentioned persons:

(1) Ms. T.S. Anitha, Bangalore.

(2) Shri T. Shiv Kumar, Holenarsipur, Distt. Hassan.

(c) and (d) Supreme Court of India in its order dated 31.3.1995 in w.p. No. 886/93 has laid down following guidelines for future allotment of dealerships/distributorships on compassionate ground:

(i) Dependent of a person who has mades Supreme sacrifice for the nation, but not been properly rehabilitated so far.

(ii) Member of a family which has been a victim of unforeseen circumstances, like terrorist attack, earthquake, floods, etc.

(iii) Physically handicapped person.

(iv) Defence / para-military/ police personnel/other Central/ State Government employees, who are permanently disabled on duty.

(v) Immediate next of kin, namely. widow, parents, children of those who lost their lives in abnormal circumstances.

(vi) Eminent professionals like outstanding sportsmen, musicians, literatures, etc. and women of high achievement, in distress.

(vii) Individual cases of extreme